रविवारीय

स्वदेशी से स्वालंबन : आत्मनिर्भर भारत

प्रोफेसर कपिल देव मिश्र
पूर्व कुलपति

किसी भी राष्ट्र की संप्रभुता का आधार उसकी आत्मनिर्भरता होती है. स्वदेशी इस आधार का एक महत्वपूर्ण स्तम्भ माना जाता है. स्वदेशी का तात्पर्य है कि अपने देश में निर्मित विचार तथा वस्तुओं को प्राथमिकता देना. श्रीमद्भगवद्गीता में स्वधर्मे निधनं श्रेय: परमधर्मों भयावह अर्थात् अपने धर्म का पालन करते हुए मृत्यु को प्राप्त करना भी श्रेयस्कर है इसी विचार को प्रतिष्ठित किया गया है. स्वदेशी का नारा उन्नीसवीं शताब्दी के प्रारम्भ में विदेशी वस्तुओं के बहिष्कार के सन्दर्भ में किया गया था. वास्तव में स्वदेशी की इस अवधारणा ने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नवीन दिशा देने का कार्य किया था. महात्मा गाँधी ने वैचारिक स्तर पर इसे अधिक सशक्त बनाने का कार्य किया. उनका मानना था कि स्वदेशी वस्तुओं का अधिकाधिक प्रयोग से न केवल सशक्त भारत की नींव मजबूत होती है, वरन राष्ट्र के आर्थिक आधार को भी एक नवीन स्फूर्ति प्राप्त होती है. स्वदेशी का विकास स्वालम्बन के रूप में देखने को मिलता है. आर्थिक क्षेत्र में स्वालंबन से तात्पर्य एक ऐसी अर्थव्यवस्था से है, जिसमें भारत के भीतर ही आर्थिक आधारों के स्रोतों की खोज की जाए, जिससे भारत के बाहर के आर्थिक आधारों पर निर्भरता पूर्ण रूप से समाप्त हो सके. यद्यपि वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ सम्बद्ध होने के कारण इसमें अनेक प्रकार की कठिनाईयाँ देखने को मिलती है, परन्तु रणनीतिक कौशल के साथ यदि स्वदेशी की अवधारणा को जोड़ दिया जाए तो इस समस्या का सरलतापूर्वक निराकरण किया जा सकता है.

स्वदेशी वह भावना है, जिससे कि हम आस पास के परिवेश से ही अपनी अधिकतम आवश्यकताएँ पूरी करते है और उनसे ही अधिकाधिक व्यवहार सम्बन्ध रखते है तथा स्वयं को उनका सहज अभिन्न समझते है, न कि दूरस्थ लोगों और वस्तुओं से स्वयं को जोड़ने लगते है. स्वदेशी की यह भावना जब होगी तब आर्थिक क्षेत्र में हम आस पास के लोगों तथा स्वदेशी परम्परा और कौशल द्वारा उत्पादित वस्तुओं का ही उपयोग करेंगे और उन्हे ही सक्षम तथा श्रेष्ठ बनायेंगे. स्वदेशी के बिना हमारा आर्थिक शोषण नही रूक सकता है.

वर्तमान वैश्विक परिस्थितियों में भारत को अपने वैश्विक सम्बन्धों को पुन: परिभाषित करने की आवश्यकता महसूस हो रही है. इसका कारण यह है कि पहलगाम की निन्दनीय आतंकी घटना तथा उसके पास भारत द्वारा चलाए गए आपरेशन सिन्दूर तथा अमेरिका द्वारा भारतीय वस्तुओं पर लगाए गए सीमा से अधिक टैरिफ ने भारत के वैदेशिक आधार भूत सिंद्धान्तों को कमजोर कर दिया है. भारत के अनेक रणनीतिक साझीदार देशों के द्वारा भारत के पक्ष में न आने से भारत को स्वदेशी को अपने स्वालम्बन का प्रमुख आधार बनाने की न केवल आवश्यकता महसूस हो रही है, वरन इससे ही भविष्य में एक सशक्त एवं आत्मनिर्भर भारत की नींव को मजबूत किया जा सकता है. वैश्वीकरण एवं आर्थिक उदारीकरण की जिस प्रक्रिया का प्रारम्भ बीसवीं शताब्दी के अन्तिम दशक में किया गया तथा जिसके परिणामस्वरूप भारत को अपने बाजार को विश्व के लिए खोला गया था. उसने भारत के व्यापारिक संतुलन को बर्बाद कर दिया. भारत एवं चीन के मध्य होने वाले व्यापार में प्रतिवर्ष भारत को लगभग 100 अरब डालर का घाटा हो रहा है. इसका तात्पर्य यह है कि हम प्रतिवर्ष एक बहुत बड़ी मात्रा में धन चीन को उपलब्ध करा रहे है, जबकि चीन के द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से पाकिस्तान का समर्थन किया जाता रहा है.

भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्विक निवेश की जिस पूंजी से बहुत अधिक आकांक्षा थी, उसका लाभ भी भारत को प्राप्त नही हुआ. इस स्थिति में भारत के छोटे छोटे एवं कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देने से इन परिस्थितियों से बाहर निकला जा सकता है. यह स्वदेशी अभियान के माध्यम से ही संभव है. जिसे मा.प्रधानमंत्री ने वोकल फॉर लोकल के नाम से अभिहित किया है. विदेशी पूंजी के कारण भारत में विनिर्माण क्षेत्र पर अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाने का प्रयास किया जा रहे है. अपमान करने के स्तर पर जाकर इसको प्रभावित करने का प्रयास किया जा रहा है. सभी देशों के द्वारा अपने आर्थिक हितों को प्राथमिकता देते हुए अन्य देशों के स्वाभिमान एवं आर्थिक हितों को कुचलने का प्रयास किया जा रहा है. दुनिया में भारत को एक ऐसे बाजार के रूप में देखा जा रहा है, जहाँ पर वह अपने माल की खपत कर भारत के धन को अपने व्यापारिक संस्थानों के विकास में लगा रहे है. इन विदेशी कम्पनियों से निर्मित वस्तुओं को भारत में बेचा जा रहा है. यह वस्तुएँ भारत में निर्मित वस्तुओं से सस्ती होती है, जिसके कारण भारतीय इसकी तरफ आकर्षित होते है. इसके कारण स्वदेशी वस्तुएँ जो कि इनकी अपेक्षा मंहगी होती है, धीरे धीरे पराभव की स्थिति में जा रही है. इसके लिए एक वैचारिक अभियान चलाने की आवश्यकता है, क्योंकि जो धन देश के बाहर जा रहा है, उसका उपयोग भारत के विरुद्ध ही किए जाने की संभावना है. वास्तव में इसके माध्यम से हम अपने शत्रुओं को ही अधिक सशक्त करने का कार्य कर रहे है. भारत को स्वदेशी की दृढ़ नीति की तरफ बढ़ने की आवश्यकता है. भारत की सैन्य रणनीति तथा सशक्त सेना के कारण प्रत्यक्ष युद्ध में इसको पराजित करना संभव नही है. इस कारण से अप्रत्यक्ष रूप से भारत पर प्रहार किया जा रहा है. भारत के विशाल बाजार में इनकी पैठ को कमजोर करने की आवश्यकता है. वास्तव में यह एक प्रकार का आर्थिक युद्ध होता है, जिसमें विचारों एवं रणनीति के माध्यम से ही भारत को सशक्त बनाया जा सकता है. स्वालम्बन से ही यह संभव है, जो कि भारत की आत्मनिर्भर अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने का कार्य कर सकती है. स्वदेशी भारत के लिए कोई नवीन रणनीति नही है. इसका प्रयोग राष्ट्रीय आन्दोलन में अनेक नेताओं के द्वारा किया गया था तथा भारत की जनता ने भी इसमें विभिन्न स्तरों पर सहयोग प्रदान किया था. स्वतंत्रता के बाद पं. दीन दयाल उपाध्याय, विनोबा भावे दंतोपंत ठेगड़ी, भारत रत्न नानाजी देशमुख जैसे स्वदेशी समर्थकों ने इसका उपयोग किया था तथा इसके महत्व को रेखांकित किया है.

स्वदेशी से स्वालम्बन को एक वैचारिक अस्त्र के रूप में प्रयोग किए जाने की आवश्यकता है. भारत का विनिर्माण क्षेत्र बहुत ही मजबूत है, परन्तु हम अपनी इच्छा से स्वदेशी के स्थान पर विदेशी वस्तुओं का प्रयोग सामान्य रूप से करते है. वास्तव में हमें अपनी इच्छा से स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करने की आवश्यकता है. इसके लिए भारत सरकार के साथ ही भारतीय जनमानस को आगे बढ़ने की आवश्यकता है. अपने दैनिक जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का प्रयोग किया जाता है, उसमें स्वदेशी का अधिकधिक प्रयोग विदेशी वस्तुओं पर भारत की निर्भरता को बहुत कम कर सकता है. इसमें उन छोटी छोटी वस्तुओं को सम्मिलित किया जा सकता है, जिसका मूल्य किसी क्रेता के लिए बहुत अधिक मायने नही रखती है, परन्तु यदि वह भारत में निर्मित वस्तुओं को खरीदता है, तो उससे भारत की अर्थव्यवस्था को तो मजबूती प्राप्त ही होगी, साथ ही भारत का धन भारत में ही रहेगा. मेक इन इंडिया तथा वोकल फॉर लोकल जैसे अवधारणाएँ स्वदेशी की इस धारणा को और अधिक मजबूत करने का कार्य करती है. विदेशी ई-कामर्स कम्पनियों जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट, क्रिक कामर्स जैसे कम्पनियों की निरन्तर वृद्धि से भारत के रोजगार क्षेत्र एवं अर्थतंत्र को गहरी चोट पहुँच रही है. भारत में विश्व का सबसे बड़ी युवा शक्ति उपलब्ध है, परन्तु इस शक्ति का अधिकांश हिस्सा गैर अनुत्पादक कार्यो में लगा हुआ है. नौकरी की तलाश तथा चाकरी में उसकी शक्ति का अधिकांश हिस्सा व्यय हो जा रहा है. इस युवा शक्ति का विनिर्माण, कृषि तथा सेवा क्षेत्र में यदि इनका सही तरह से उपयोग किया जाए तो की अर्थव्यवस्था को उडान और अधिक तेजी से बढ़ सकती है. नौकरी के स्थान पर उद्यमिता से ही गुणवत्तापूर्ण रोजगार संभव है. इस विचारधारा को भारत के प्रत्येक युवा को अपनाना होगा. तभी राष्ट्र पूर्णरूप से समृद्ध, सुरक्षित, आत्मनिर्भर तथा स्वाभिमानी देश के रूप में वैश्विक फलक पर अपनी पहचान स्थापित कर सकेगा. एक आयातक देश के बाजार के रूप में विकसित होने से कभी भी इसकी पहचान विकसित नही हो सकेगी.

> भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भारत की इस कमी को बहुत ही अच्छी तरह से पहचान रहे है. उनकी आकांक्षा अपने सपनों का आत्मनिर्भर भारत बनाने का है, जिसमें प्रत्येक व्यक्ति स्वालम्बी हो तथा प्रत्येक व्यक्ति की राष्ट्र के उत्थान में सहभागिता हो. प्रधानमंत्री जी का आह्वान है कि हम गाँव गाँव जाकर व्यापारियों एवं दुकानदारों को शपथ दिलाएं कि चाहे कितना भी लाभ क्यों न हो, आप विदेशी वस्तुओं को नही बेचेगें. दुर्भाग्य देखिए छोटी आंख वाले गणेश जी भी विदेश से आते है, होली के रंग भी विदेश से आते है. हम घर घर जाकर लोगो को जागरुक करने का कार्य करे तथा एक सूची बनाए कि एक व्यक्ति प्रतिदिन कितनी विदेशी वस्तुओं का उपयोग करते है. यदि हमे देश को बचाना है, तो ये सिर्फ सीमा पर तैनात सैनिकों की जिम्मेदारी नही है. भारत के प्रत्येक व्यक्ति को इसमे अपना योगदान देना होगा. तभी देश बचेगा और आगे बढ़ेगा.

2025 में विकसित भारत की नींव मजबूती से आगे बढ़ी

गणेश सिंह
सांसद सतना

ऐसे समय में जब वैश्विक अर्थव्यवस्था भू-राजनीतिक तनाव, व्यापारिक विखंडन, आपूर्ति श्रृंखला के पुनर्संरेखण और तकनीकी प्रतिस्पर्धा की चुनौती से जूझ रही है, भारत ने वर्ष 2025 में यह सिद्ध कर दिया है कि सुधार, स्थिरता और विकास एक-दूसरे के विरोधी नहीं, बल्कि पूरक हैं।यह वर्ष केवल नीतिगत परिवर्तन का नहीं, बल्कि शासन की सोच में गुणात्मक बदलाव का प्रतीक बनकर उभरा है।

पिछले वर्ष भारत की अर्थव्यवस्था ने 8.2 प्रतिशत की विकास दर दर्ज की, जबकि महँगाई नियंत्रण में रही और राजकोषीय घाटा भी प्रबंधनीय स्तर पर बना रहा। यह उपलब्धि किसी संयोग का परिणाम नहीं, बल्कि उन संरचनात्मक सुधारों का फल है, जिनका केंद्रबिंदु रहा है—विश्वास आधारित शासन। सरकार ने कर नीति के माध्यम से सीधे उपभोग को प्रोत्साहित किया। फरवरी के बजट में रु.12 लाख तक की आय को प्रभावी रूप से कर-मुक्त कर मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक धन छोड़ा गया। इसके बाद सितंबर में लागू किए गए जीएसटी सुधारों के अंतर्गत दो-स्लैब संरचना और सरलीकृत शासन प्रणाली ने कर अनुपालन को आसान बनाया। परिणामस्वरूप त्योहारी सीज़न में उपभोक्ता बिक्री ?6 लाख करोड़ के स्तर तक पहुँच गई। यह ध्यान देने योग्य है कि ये कदम तत्काल राजस्व वृद्धि के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक उपभोग और निवेश चक्र को मजबूत करने के लिए उठाए गए। भारत की अर्थव्यवस्था में घरेलू उपभोग की हिस्सेदारी लगभग 55 से 60 प्रतिशत है। ऐसे में बढ़ती मांग से क्षमता उपयोग में वृद्धि, नए निवेश और बहुगुणक प्रभाव स्वाभाविक हैं। किंतु यह तभी संभव है जब श्रमिकों की आय स्थायी और सुरक्षित हो। इसी उद्देश्य से चार आधुनिक श्रम संहिताओं के माध्यम से 29 बिखरे कानूनों को समेकित कर 64 करोड़ श्रमिकों के लिए एक पारदर्शी, सरल और सुरक्षित ढांचा तैयार किया गया है। इन सुधारों का जोर उचित वेतन, मजबूत औद्योगिक संबंध, सामाजिक सुरक्षा और कार्यस्थल सुरक्षा पर है। औपचारिक रोजगार के विस्तार के साथ भविष्य निधि, पेंशन और बीमा कोषों में योगदान बढ़ेगा, जिससे पूंजी बाज़ारों को दीर्घकालिक संसाधन उपलब्ध होंगे। इसी क्रम में बीमा क्षेत्र में 100 प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति ने न केवल प्रतिस्पर्धा और सेवा गुणवत्ता को बढ़ाया है, बल्कि इसे सामाजिक सुरक्षा के एक सशक्त माध्यम के रूप में भी स्थापित किया है। विनियामक सुधारों के क्षेत्र में भी वर्ष 2025 निर्णायक रहा। भारतीय रिज़र्व बैंक ने 9,000 से अधिक परिपत्रों को समेकित कर उन्हें 250 से कम कर दिया है। बीमा नियामक IRDAI ने सुधारों के सुझाव हेतु एक समिति गठित की है। पर्यावरण और भवन संहिताओं में जोखिम-आधारित अनुपालन प्रणाली लागू की गई है। उदाहरणस्वरूप, 33 प्रतिशत 'ग्रीन कवर' की अनिवार्यता से हटने से औद्योगिक भूमि के 1.2 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को मुक्त किया गया है। औद्योगिक पार्कों में स्थित इकाइयों को अब अलग-अलग पर्यावरणीय स्वीकृतियों की आवश्यकता नहीं होगी। 'जन विश्वास' सुधारों के तहत 200 से अधिक छोटे अपराधों का अपराधमुक्तिकरण किया गया है और सैकड़ों अप्रचलित कानून समाप्त किए गए हैं। कई राज्यों ने मिलकर 1,000 से अधिक अपराधों को अपराधमुक्त करने की पहल की है। यह स्पष्ट संकेत है कि भारत नियंत्रण आधारित शासन से विश्वास आधारित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। एमएसएमई और निर्यात क्षेत्र में भी ठोस हस्तक्षेप किए गए हैं। 200 से अधिक गुणवत्ता नियंत्रण आदेशों (QCO) को हटाने से छोटे उद्योगों और निर्यातकों पर अनुपालन का बोझ कम हुआ है। वर्ष 2020 से एमएसएमई की परिभाषा में 10 गुना वृद्धि की गई है, जिससे वे पैमाने का लाभ उठा सकें। ?20,000 करोड़ की नई निर्यात प्रोत्साहन मिशन योजना विशेष रूप से एमएसएमई के लिए सहायक सिद्ध होगी। भारत ने यूके, न्यूज़ीलैंड और ओमान के साथ व्यापार समझौते किए हैं और यूरोपीय मुक्त व्यापार संघ (EFTA) के साथ समझौते का क्रियान्वयन भी आरंभ हो चुका है।

ऊर्जा क्षेत्र में, विशेषकर एआई और डेटा सेंटर जैसे उभरते क्षेत्रों के कारण, खपत में तीव्र वृद्धि देखी जा रही है। बीते कुछ ही दिनों में भारत ने इस क्षेत्र में लगभग 70 अरब डॉलर के निवेश आकर्षित किए हैं। इन नवाचारों को सतत रूप से ऊर्जा उपलब्ध कराने के लिए परमाणु ऊर्जा अहम भूमिका निभा सकती है। इसी दृष्टि से संसद के शीतकालीन सत्र में SHANTI विधेयक पारित किया गया, जो सुरक्षा-प्रथम और निवेश-अनुकूल ढांचे के साथ नागरिक परमाणु परियोजनाओं में निजी और विदेशी भागीदारी की अनुमति देता है, जबकि ईंधन, संवर्धन और पुनर्संसाधन जैसे संवेदनशील क्षेत्र राज्य के नियंत्रण में बने रहेंगे। ग्रामीण भारत के लिए भी सुधारों की दिशा स्पष्ट है। ग्रामीण रोजगार कानून में न्यूनतम गारंटी को 100 से बढ़ाकर 125 दिन किया गया है और मजदूरी कार्यों को टिकाऊ परिसंपत्तियों, जल सुरक्षा, जलवायु अनुकूलन और आजीविका अवसंरचना से जोड़ा गया है। शिक्षा क्षेत्र में 'विकसित भारत शिक्षा अधिष्ठान अधिनियम' के माध्यम से एकल उच्च शिक्षा नियामक की स्थापना कर UGC, AICTE और NCTE जैसी संस्थाओं के अतिव्यापन को समाप्त किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में वर्ष 2025 वास्तव में सुधारों का निर्णायक वर्ष रहा है। ये सुधार आसान नहीं थे—इन्हें लागू करने के लिए राजनीतिक इच्छाशक्ति और संस्थागत दृढ़ता दोनों की आवश्यकता थी। अब यह अपेक्षित है कि राज्य सरकारें भी इस गति को आगे बढ़ाएँ, ताकि सुधार केवल काग़ज़ों तक सीमित न रहें, बल्कि ज़मीनी स्तर पर परिणाम दें। विश्वास, सरलीकरण और पूर्वानुमेयता—यही 2025 के भारत की पहचान है, और यही विकसित भारत की आधारशिला भी।

व्यंग्य

इति श्री वॉयरल इंदौरी घंटा कथा

रवि उपाध्याय
(लेखक व्यंगकार और राजनीतिक समीक्षक हैं)

देश में शायद ही कोई ऐसा बंदा हो जो घंटा से अपरिचित हो. घंटा का परिचय देना सूरज का दीप दिखाने के जैसा है. मंदिर हो या चर्च यह दोनों जगह देखने और सुनने को मिल जाता है. इसे स्कूल से लेकर मंदिर तक देखा जाता था. जब घड़ियां दुर्लभ थीं तब आम आदमी को समय की जानकारी पुलिस थानों, ट्रेज़री में बजने वाले घंटा से मिलती थी. जितना समय होता था उतनी बार घंटा बजाया जाता था. कालांतर में शायद यह नारी सशक्तिकरण या आधुनिकीकरण का असर रहा होगा जो स्कूलों के पीतल कांसे के वृताकार घंटों का स्थान बिजली की घंटियों ने ले लिया. यूपीए शासन के समय रेल्वे स्टेशनों पर भी रेल के आने की सूचना घंटा बजा कर दी जाती थी. पर 2014 में आई सरकार ने उनकी जगह स्टेशनों पर बिजली की घंटियां लगा दीं. यह एक वैज्ञानिक सत्य है कि घंटा से निकलने वाली ध्वनि या नाद स की सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है. इस ध्वनि से जो नाद निकलती है. वह अत्यंत अलौकिकता का अनुभव कराती है. इतिहास की बात की जाए तो इतिहास में जहांगीर का वह घंटा प्रसिद्ध है जो महल के बाहर लटका रहता था और कोई भी पीड़ित व्यक्ति उसको बजा कर अपनी फरियाद बादशाह तक पहुंचा सकता था. रूस के क्रेमलिन में दुनिया का सबसे बड़ा घंटा बताया जाता है. घंटा समय का मानक भी है. वहीं बोलचाल और लोकभाषा में जब अपने पास कुछ नहीं होता है तो इस शब्द का सामान्य रूप से प्रयोग किया जाता है. यानि इसका उपयोग 'जा की रही भावना जैसी, घंटा मूरत बनाई तिन तैसी.

नए साल 2026 के पहले सप्ताह में यह घंटा शब्द चर्चा में तब आया जब इंदौर में हुई दूषित पानी की पूर्ति के बाद जब विभागीय मंत्री घटनास्थल पर हालात की जानकारी लेने पहुंचे. तब मीडिया ने उनसे तल्ख़ अंदाज में सवाल पूछा तो मंत्री ने कहा यार फोकट बात मत करो मीडिया ने इस पर जब तीखा सवाल किया तो मंत्री ने सामान्य बोलचाल की भाषा में घंटा शब्द का उपयोग कर दिया. बस फिर क्या था..मीडिया ने इस शब्द का अर्थ अश्लील चीज समझ पूरे देश में वही घंटा बजा डाला. दिलचस्प बात यह कि जो न्यूज चैनल घंटा शब्द को अश्लील बता कर मंत्री को कठघरे में खड़ा कर रहे थे वही इसे बार बार दोहरा रहे थे. और बार बार मंत्री के सुविचार का वीडियो प्रसारित कर रहे थे. बता दें कि इसी शब्द का एक समानार्थी शब्द 'बाबा जी का ठुल्लू' भी इन दिनों प्रचलन में है. इस शब्द की इज़ाद या कहिए खोज देश के बड़े स्टैंडअप कॉमेडियन श्रीमान कपिल शर्मा जी ने की है.. वो पंजाब से आते हैं और अपने शो, द कपिल शर्मा शो में इस शब्द का गाहे बगाहे उपयोग करते रहते हैं और दर्शक ठहाके लगा कर तालियां पीटते रहते हैं. उनकी इस खोज के लिए पूरा देश भाई कपिल शर्मा जी का सदैव ऋणी रहेगा.यह बताता है कि हम कितने खुलेपन को पसंद करते हैं. उसके बाद दोस्तों के बीच भी इस शब्द का उपयोग आमतौर पर हंसी मज़ाक होने लगा है. अब बेचारे मंत्री तो मंत्री ठहरे ठेठ इंदौरी तो उन्होंने लोकल बोली में घंटा बजा दिया. वह यदि कपिल शर्मा द्वारा किए जाने वाले शब्द का उपयोग कर लेते तो शायद मीडिया मेन आऊट ऑफ बिहेवियर नहीं होते. वैसे सामान्यत: माना जाता है कि मीडिया पर्सन और नेताओं के संबंध आमतौर पर मधुर होते हैं. दोनों के व्यावसायिक हित एक दूजे से जुड़े रहते हैं. दोनों के हितों की तुलना सरगम फिल्म में ऋषि कपूर और जया प्रदा द्वारा गाए गाने -तेरे बिन मैं क्या, मेरे बिन तू क्या से दोनों एक दूजे बिन अकेले से की जा सकती है.

मजेदार यह है कि घंटे वाला यह दोस्ताना संवाद मंत्री और मीडिया के बीच हुआ था लेकिन पेट विपक्ष का पिराने लगा. अब विपक्ष तो ताक में ही बैठा रहता है कि कब छींका टूटे और कब हांडी झेले. बस क्या था वह इंदौरी घंटा लेकर पूरे प्रदेश में जा कर बजाने लगा. विपक्ष के दिमाग की जरा भी घंटी नहीं बजी कि जिस शब्द को वह अश्लील बता कर इस डाल से उस डाल पर कूद रहा है उसे लेकर नेताइनों के साथ चौराहे चौराहे क्यों बजा रहा है.वैसे आपको बता दें कि इंदौर अपनी शानदार मेहमानवाजी, खाने - खिलाने के शऊर,पहलवानी, राजवाड़ा,अपनी बिंदास बोली, और मां अहिल्या देवी की धर्म प्रियता सुस्वादु नमकीन के लिए मशहूर है. यहां होली पर निकलने वाली गैर देस और दुनिया में मशहूर है. यहां दारा सिंह से लेकर मास्टर चंदगीराम तक अपनी कुश्ती का कौशल दिखा कर विरोधी पहलवानों को धोबी पछाड़ लगा चुके हैं. अब यह शहर क्रिकेट के खेल में प्रसिद्ध हो गया है.मिनी मुम्बई के नाम से प्रसिद्ध इस में गणेशोत्सव और अनंत चतुर्दशी पर निकलने वाली झांकियां आकर्षण का केंद्र होतीं हैं. यहां की सियासत भी वाइब्रेंट रही है.

चलो माना कि मीडिया का काम ही नेताओं की घंटी बजाना है पर विपक्ष ने कैसे मान लिया कि घंटा का मतलब अश्लील वाला ही है. इस घंटा आंदोलन का जनता पर तो कोई असर नहीं पड़ा. वो चुप चाप चौराहों पर बैठे नेताओं का देख देख कर मंद मंद हंसती रही की ये लोग क्या पकड़ कर बैठे हैं. मध्यप्रदेश में तो इस स्थिति में 22 साल हो गए और राष्ट्रीय स्तर भी ग्यारह सालों से सत्ता से 9- 2- 11 हैं. अब तो लगता है कि यही नसीब बन कर रह गया है. सबर करें तो आखिर कब तक और कैसे करें. अब यह गुनगुनाने के अलावा क्या करें, कि कोई लौटा दे मेरे बीते हुए दिन.

क्या आज संघवाद 'खतरे' में है?

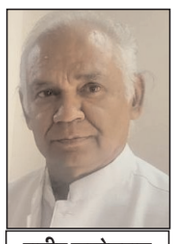

राजीव खण्डेलवाल
(लेखक कर सलाहकार एवं पूर्व बैतूल नगर सुधार न्यास

8 जनवरी 2026 को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) से जुड़े चुनावी रणनीतिकार संगठन आई-पैक (इंडियन पॉलीटिकल एक्शन कमेटी) के कोलकाता स्थित कार्यालय, निदेशक एवं सह-संस्थापक प्रतीक जैन (संस्थापक प्रशांत किशोर) के आवास सहित कुल 10 परिसरों (जिनमें दिल्ली के 4 परिसर भी शामिल हैं) पर एक साथ छापेमारी की गई. क्या मात्र इस आधार पर कि आरोपित कंपनी किसी राजनीतिक दल के लिए सलाहकार कंपनी के रूप में काम कर रही थी, पर पड़े छापे को राजनीतिक प्रतिशोध की संज्ञा दी सकती है? जबकि वास्तव में यह कार्रवाई तथाकथित 1352 करोड़ रुपये के कोयला तस्करी घोटाले से जुड़े प्रतीक जैन के लगभग 10-12 करोड़ रुपये की मनी लॉन्ड्रिंग की जांच के सिलसिले में की गई बतलाई जाती है.

जवाब में ममता ने अमित शाह के विरूद्ध तथाकथित कोयला घोटाले के जहां जबकि वे छापे के तुरंत बाद प्रधानमंत्री से अमित शाह को नियंत्रण में रखने की बात कह रही थी. पैसे लेने के सबूत की कथित पेन ड्राइव होने के बावजूद जारी न करना ममता के तेवर से मेल नहीं खाता है. इसका साफ मतलब पेन ड्राइव की वास्तविकता ही कोसो दूर है. अचानक पड़े ईडी के छापे के दौरान पश्चिम बंगाल की शेरनी कही जाने वाली मुख्यमंत्री ममता बनर्जी स्वयं कोलकाता पुलिस आयुक्त के साथ छापा स्थलों पर जिस तत्परता से पहुंचकर वहां से एक हरी फाइल, हार्ड डिस्क, लैपटॉप और अन्य दस्तावेज जबरन अपने साथ ले गईं. गोया कि तुम्हारा शहर, तुम ही कातिल, तुम ही मुद्दई, तुम ही मुंसिफ..

'घटना का परिणाम? - हाल के वर्षों में केंद्रीय जांच एजेंसियों की कार्रवाई के दो अलग-अलग राजनीतिक परिणाम देश देख चुका है. एक, अरविंद केजरीवाल के विरूद्ध विधानसभा चुनाव से लगभग 65 दिन पूर्व कार्रवाई, गिरफ्तारी, जेल से शासन चलाने का केजरीवाल का हथेली पर सरसों जमाने जैसा अभूतपूर्व, दुस्साहसिक एवं अनैतिक प्रयोग.

दूसरा हेमंत सोरेन के विरूद्ध चुनाव से लगभग 290 दिन पूर्व कार्रवाई, परिणामस्वरूप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा. स्पष्ट है कि शासकीय कार्य में बाधा डालने के आरोप में ममता के विरुद्ध भी आपराधिक कार्रवाई की तलवार लटक रही है. तब ममता बनर्जी-कौन-सा रास्ता चुनेगी?

राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप और न्यायिक मोर्चा. - मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रतीक जैन को टीएमसी के आई.टी. सेल का प्रमुख बतलाते हुए ईडी की कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बताया. वहीं ईडी ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री द्वारा जबरन दस्तावेज हटाना जांच में बाधा है. इसी आधार पर ईडी ने कोलकाता उच्च न्यायालय का रुख किया. दूसरी ओर, टीएमसी ने भी छापेमारी को चुनौती देते हुए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है. प्रतीक जैन के परिजनों ने भी ईडी की छापा कार्रवाई के दौरान कीमती सामान की चोरी का आरोप लगाते हुए पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है.

जिस प्रकार एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उसी प्रकार इस घटना के भी स्पष्ट रूप से निम्न दो पहलू है. टीएमसी जहां इसे बीजेपी-नीति केंद्र द्वारा लक्षित उत्पीड़न के रूप में देख रही है, वहीं अन्य इसे वित्तीय अनियमितताओं की वैध जांच के रूप में देखते हैं. पूरा घटनाक्रम देश में एक ब? राजनीतिक, संवैधानिक मर्यादा, संघीय ढांचे और लोकतांत्रिक संतुलन का विवाद का रूप ले चुका है. इस पर राजनीतिक जो?-घटाना किए बिना गंभीरता से मनन किया जाने की अत्यंत आवश्यकता है.

अभूतपूर्व चिंताजनक घटना'.- स्वतंत्र भारत के इतिहास की संभवत: यह पहली ऐसी अवांछित घटना है, जहां किसी राज्य की निर्वाचित मुख्यमंत्री स्वयं केंद्रीय जांच एजेंसी की छापेमारी के दौरान मौके पर पहुंचकर दस्तावेज ले जाकर जांच में बाधा डालते दिखाई दी हों, और जांच एजेंसी को अरध तजहिं बुध सरबस जाता की तर्ज पर आंसू पीकर बेबस रह जाना पड़ा हो.

यह घटना भारत संघ जो राज्यों के संघ से मिलकर बना है, की अनेकता में एकता की भावना पर गहरा आघात होकर गंभीर प्रश्न खड़े करती है. यह केवल एक राजनीतिक टकराव नहीं, बल्कि संवैधानिक और कानूनी संकट का संकेत भी है. जिससे पार पाना तलवार की धार पर चलने जैसा है.

ममता बनर्जी! क्या 'हेमंत सोरेन' या 'केजरीवाल' बनने जा रही हैं?

संवैधानिक पद पर असंवैधानिक आचरण- ममता बनर्जी मुख्यमंत्री के संवैधानिक पद पर आसीन हैं. ईडी की कार्रवाई में प्रत्यक्ष हस्तक्षेप व बाधा निश्चित रूप से भारतीय न्याय संहिता की धारा 221 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है. यदि ममता को आशंका थी कि ईडी के माध्यम से भाजपा द्वारा तथाकथित दस्तावेजों का दुरुपयोग होगा, तो संवैधानिक मर्यादा की रक्षा हेतु या तो वे पद से मुक्त होकर उक्त कार्य करती अथवा गांधारी होकर दुर्योधन को उक्त दस्तावेज लाने भेजती, ताकि संवैधानिक मुख्यमंत्री पद की मर्यादा बनी रहती. तथापि स?क पर संघर्ष कर विरोध प्रकट करना ममता का संवैधानिक लोकतांत्रिक अधिकार है. अगस्त 2025 में उच्चतम न्यायालय ने ईडी की कार्यशैली पर कड़ी टिप्पणी करते हुए उसे धोखेबाज अपराधी जैसे व्यवहार से बाज आने की चेतावनी इस आधार पर दी थी कि 2015 से अब तक पीएमएलए के तहत 5892 मामलों में केवल 15 दो दोष सिद्धियां अर्थात मात्र 0.5प्रतिशत हुई. प्रश्न यह नहीं कि जांच हो रही है, बल्कि जांच कैसे, क्यों व किस तरह हो रही है? क्या घोषित उद्देश्य (जो प्राय: बनावटी ही होता है) की आड़ में कोई अघोषित राजनैतिक उद्देश्य छिपा है? यही वह परसेप्शन है, जो केंद्रीय एजेंसियों की गलत कार्यशैली के कारण जनमानस में गहराते जा रहा है. यह स्थिति लोकतंत्र और संघवाद-दोनों के लिए शुभ संकेत नहीं है. कहीं यह टकराव राष्ट्रपति शासन की आशंका को तो बलवती नहीं बनाता है? अत: आज आवश्यकता है आत्ममंथन की, अन्यथा. फिर पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत. भविष्य क्या होगा, यह आज के निर्णय तय करेंगे.